मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :– मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि0 छतरपुर
(डायस्पोर/पायरोफ्लाईट खनिज ओपन कास्ट)

क्षेत्रफल :– 19.000 हेक्टेयर

वनमण्डल का नाम :– सा. वनमंडल छतरपुर

सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण :– वनभूमि, वनमंडल टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र जतारा, वनखण्ड माचीगढ़, कक्ष क्रमांक–262 रकवा 19.000 हे0 डायस्पोर/पायरोफ्लाईट खनन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम कसेरा तहसील बकस्वाहा खसरा नं. 13/1 रकवा 19.000 हे. की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
2. जिला :– टीकमगढ़
3. वनमण्डल :– छतरपुर
4. परिक्षेत्र :– बकस्वाहा
5. तहसील :– बकस्वाहा
6. ग्राम पंचायत :– वीरमपुरा
7. बीट का नाम :– जगारा
8. कक्ष क्रमांक :– 278 से लगी हुई राजस्व भूमि
9. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :– ग्राम वन विकास समिति जगारा
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :– आई.एफ.एस. कार्य वृत्त
11. मिट्टी का प्रकार :– लाल/बालू दोमट मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :– राजस्व भूमि

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :– 23500
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :–

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	21000	1.5 से 2	45 सेमी.	3 से 5
अर्जुन	1500	1.5 से 2	45 से 90	2
बेल	500	1.5 से 2	45 से 90	2
महुआ	200	1.5 से 2	45 से 90	2
आर.टी.ई.	300	1.5 से 2	45 से 90	2
योग–	23500			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :– क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत 05 नग परकोलेशन पिट का निर्माण एवं वन्य प्राणियों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 01 नग तालाब निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की लगभग 15 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।

4. क्षेत्र की सुरक्षा :– वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंक फैंसिंग तथा आयरन पोल लगाकर की जावेगी।

5. पुर्नउत्पादन सफाई :– प्रस्तावित राजस्व क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरूत्पादन या कापिस प्रजाति के ठूठ उपलब्धता की स्थिति लगभग नगण्य है। प्रस्तावित क्षेत्र प्रजाति विशेष के पौधों को स्वतंत्र रूप से बढने हेतु आवश्यकतानुसार अन्य प्रजाति के प्राकृतिक रूप में विकसित होने वाले पौधों की सफाई का कार्य किया जावेगा।

6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :– क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत द्वितीय वर्ष में 03 बार निदाई, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में 02 बार निंदाई तथा पंचम वर्ष में 01 बार निदाई का कार्य किया जायेगा।

7. रखरखाव :– रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :– रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्ठि रोपण पंजी में की जावेगी। समय–समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधें स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

(डॉ. अनुपम सहाय)
वनमंडलाधिकारी
सा. वनमंडल छतरपुर